

पलायन एक सामाजिक, राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय समस्याएँ

राज रानी¹

प्रभात त्रिपाठी ने 'जाने की कथा का मंगलाचरण' कविता में ठीक ही लिखा है:-

"शुरु में महुए का गाछ

बिजली के तार पर

निर्जीव लटकी गोरैया

पटरियों पर धड़धड़ाती भागती एक रेलगाड़ी

टप-टप, टप-टप, टपकती हैं रक्त की बूँदें

और पतली ट्यूब से गुजरकर

सुनती हैं उसके जाने की कथा का मंगलाचरण

वहाँ इच्छाएँ नहीं हैं।"(1)

यह कविता एक पलायनवादी व्यक्ति की विवशता को चरितार्थ करती है।

मनुष्य घुमक्कड़ प्रवृत्ति के इंसान हैं। वे प्राचीन काल से नवीन से नवीनतम खोज के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहे हैं। इस प्रवृत्ति के कारण उन्हें कई कष्टों का सामना करना पड़ा है। कई बार उन्हें अपनी माटी और अपना परिवार छोड़ना पड़ा है, जिसके कारण उन्हें कई प्रकार के समस्याओं से दो चार होना पड़ा है।

पलायन एक प्रकार से स्वतंत्र प्रवृत्ति हो सकता है, परन्तु यह अधिकतर प्रतिकूल परिस्थिति का ही घोटक है। प्राचीन काल से लेकर आज तक मनुष्य प्राकृतिक आपदा, भूख, गरीबी, आर्थिक समस्या, धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिक दंगों के कारण पलायन पर मजबूर हुए हैं। यह एक सामाजिक समस्या के साथ-साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समस्या भी है।

सामान्य शब्दों में पलायन अपने मूल्य स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाकर रहने की प्रक्रिया है। यह एक जटिल किन्तु आधारभूत सामाजिक प्रक्रिया है जिसकी स्पष्ट व्याख्या कठिन है। पलायन एक बहुआयामी घटना है, जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव आर्थिक विकास, नियोजन, जनशक्ति, नगरीकरण और सामाजिक परिवर्तन पर पड़ता है। इसका कारण उद्देश्य की भिन्नता है। जिससे व्युत्पन्न विकास की प्रत्येक अवस्था में गतिशीलता जनसंख्या की मूलभूत विशेषता रही है। तथापि सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक एवं तकनीकी विकास ने निसंदेह ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या को नगरों की ओर पलायन करने का मार्ग प्रशस्त किया है।(2)

भारत में पलायन एक बड़ी समस्या है। विभिन्न राज्यों के लोग विभिन्न राज्यों में जाकर और काम करके अपने परिवार का पेट पालने के लिए विवश हैं। इस पर विचार करते हुए A. ज. Gupta अपनी किताब "Social implication of rural migration a case study of rural imigrant in punjab " में लिखते हैं-

"पाश्चात्य देशों के विपरीत भारत के औद्योगिक नगरों में काम करने वाले श्रमिकों में प्रवासी प्रवृत्ति पायी जाती है। यहाँ किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में स्थायी श्रम शक्ति नहीं है। कुछ विशेष प्रकार के कुशल और अनुभवी श्रमिकों को छोड़कर हमारे अधिकांश श्रमिक ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तथा औद्योगिक नगरों में स्थायी रूप से निवास नहीं कर पाते हैं। उनका मूल स्थान गाँव है। नगरों में तो केवल पेट के खातिर या किसी अन्य परिस्थितिवश आते हैं। यही कारण है कि उनका गाँव से संबंध किसी न किसी प्रकार से बना रहता है और अवकाश मिलते ही वे गाँव की ओर चले जाते हैं। गाँव उनका सर्वप्रमुख आकर्षण का केंद्र रहता है तथा गाँव के रीति रिवाजों में उनकी गहरी आस्था होती है। उनका अभीष्ट गाँव लौटना ही होता है तथा वे इस बात के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहते हैं। अधिकांश श्रमिकों को शीघ्र ही अपने घर लौटना तथा नगर के कारखानों में स्थायी रूप से अधिक समय तक कार्य न करना इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वे कृषि कार्य को केवल अल्पकाल के लिए छोड़ते हैं। इस प्रकार उनका मुख्य निवास गाँव ही होता है न कि नगर जहाँ वे केवल उदरपूर्ति की लालसा से आते हैं।"(3)

यह कथन स्पष्ट करता है कि आम इंसान पलायन अपनी खुशी के लिए नहीं करता है। वह विवशतावश इसे स्वीकारते हैं। यह विवशता क्या हो सकती है? ऐसी कौन सी मजबूरी है, जिसके कारण उन्हें हँसता खेलता हुआ घर आँगन को छोड़कर नरकमय जीवन को चुनना पड़ता है। यह विवशता गरीबी है, भुखमरी है, बेटी विवाह है, कर्ज की समस्या है, आर्थिक विपन्नता है। यही

कारण है कि वह बार बार अपने गाँव के खेत खलिहानों की ओर आकर्षित होते हैं और दूर रहकर भी उन्हें याद करते हैं।

केदारनाथ सिंह ग्रामीण परिवेश पर लिखने वाले कवि हैं। वे शहर में रहकर भी गाँव की ओर आकर्षित होने वाले कवि हैं। ऐसी प्रवृत्ति रखने वालों में बाबा नागार्जुन, त्रिलोचन और केदारनाथ अग्रवाल जैसे कवि अग्रगण्य हैं। केदारनाथ सिंह 'कालबद्ध और पदार्थमय' आलोचना में ग्रामीण और शहरी संबंध पर विचार करते हुए लिखते हैं...

"मेरी आधुनिकता में मेरे गाँव और शहर के बीच का संबंध किस तरह घटित होता है, इस प्रश्न की विकलता मेरे भाव-बोध का एक अनिवार्य हिस्सा है। ये दोनों मेरे भीतर हैं और दोनों में जो एक चुपचाप सहअस्तित्व है, उसका संतुलन हमेशा एक जैसा बना रहता हो, ऐसा नहीं है।"(4)

केदारनाथ सिंह शहर में आए हुए कवियों और लेखकों के मानसिकता के बारे में भी विचार करते हैं। वे एक पाश्चत्य आलोचक के टिप्पणी का सहारा लेते हुए कहते हैं:-

"साइबेरिया में जन्में प्रसिद्ध रूसी लेखक 'वसीली शूक्सिन' ने गाँव और शहर के इस रिश्ते को काफी गहराई से महसूस किया था। वे लिखते हैं- यह विचित्र बात है कि चालीस की उम्र में मैं न तो नियमित रूप से शहर में रहनेवाला बन पाया हूँ, न ही देहाती रह गया हूँ। इस बात से मैं बहुत असुविधा महसूस करता हूँ। लेकिन इस स्थिति में भी अपने कुछ फायदे हैं।"

"शूक्सिन ने जिस असुविधा की बात लिखी है, उसे अपने रचनात्मक जीवन के किसी न किसी मोड़ पर वे सारे कवि-लेखक महसूस करते हैं, जो रहते तो हैं किसी बड़े नगर में मगर जिनकी जड़ें किसी सुदूर कस्बे या गाँव में हैं।"

इससे स्पष्ट है कि पलायन एक दुखद अहसास है। यह अहसास मध्यम वर्गीय परिवार के लिए भी कष्टदायक है। चाहे वह लेखक हो, व्यापारी हो, कवि हो आदि हो।

मनुष्य समस्या का समाधान चाहता है, परन्तु जब वह समस्या से पलायन कर जाता है तो समाधान पाना मुश्किल ही मुमकिन हो जाता है। छत्तीसगढ़ इसका उदाहरण है। यहाँ का मानव संसाधन पलायन कर दूसरे क्षेत्र के विकास में योगदान देता है, फिर भी वह शोषण से मुक्त नहीं हो पाता है। अतः पलायन स्थानीय रूप से मानव संसाधन का सदुपयोग न हो पाना है और पलायन मनुष्य की नियति बन गयी है। अन्य राज्य के विकास में अहम योगदान के बावजूद भी

उन्हें वह सम्मान नहीं प्राप्त हो पाता है। आज छत्तीसगढ़ की आबादी 80% कृषि हैं, जिसमें कृषकों की संख्या 55% है। यही स्थिति कमोबेश बिहार की भी है।

पलायन, मनुष्य दो प्रकार से करते हैं-1.स्वेच्छापूर्वक और 2.अनिच्छापूर्वक।

जो आदमी स्वेच्छापूर्वक पलायन करते हैं, तो वे सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के दृष्टिकोण से पलायन करते हैं। जबकि लोग अनिच्छापूर्वक पलायन करते हैं तो कहीं-न-कहीं वे शोषण के शिकार होते हैं। ऐसे स्थिति में पलायनकर्ता किसी तरह से बाहर रहकर जीवनयापन करने के लिए विवश होते हैं। प्रेमचंद के 'गोदान' में गोबर इसका उदाहरण है और जगदीशचंद्र गुप्त के उपन्यास 'धरती धन न अपना' में काली।

आज देश में अधिकांश पलायन कर्ता की स्थिति जर्जर है। उनके पास आज भी टूटे फूटे घर ही हैं और जर्जर छत।

पलायनकर्ता जब घर से पलायन करता है तो वह नितांत अकेला होता है। वह अपने परिवार वालों की पहचान एवं समाज को त्यागकर एकदम असहाय और विवश होता है। यह स्थिति शोषण के लिए काफी उपयुक्त है। समाचार माध्यम से आए दिन सुनते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश के इतने मजदूरों को ईंटों के भट्टे पर बंधुआ मजदूर बना लिया है, तो छत्तीसगढ़ के मजदूरों को गोली मार दी गयी है तथा बिहारी मजदूरों को मुंबई से निकाल दिया गया है तो उन्हें गाली दी गयी है आदि।

पलायन कर्ता अपने परिवारों और रिश्तेदारों से काफी दूर हो जाते हैं। वे रिश्तेदारों के विवाह, जन्म मृत्यु संस्कार, पर्व त्यौहार आदि में शामिल नहीं हो पाते हैं। पलायनकर्ता मुख्य रूप से निम्न चार वर्गों में पलायन करने पर मजबूर होते हैं:-

1. मौसम के अनुसार
2. अल्प समय के लिए
3. दीर्घावधि के लिए पलायन
4. रोज रोज पलायन

मौसम पलायन से आशय है कि कुछ विशिष्ट मौसम में पलायन कर्ता पलायन करते हैं। जैसे- फसल काटने के लिए श्रमिक गाँव की ओर चले जाते हैं तो कुछ शहर की ओर चले जाते हैं। ऐसे श्रमिकों में बिहार के मजदूरों और यूपी के मजदूरों की संख्या अधिक है। जो व्यक्ति बीज बोने में कुशल होते हैं, वे अक्सर बीज बोने के समय गाँव लौट आते हैं और बीज बोकर पुनः कारखाने या शहरों में लौट जाते हैं। ऐसे श्रमिक मौसमी पलायन के लिए मजबूर होते हैं और अधिकांश पाए जाते हैं।

कुछ मजदूर अल्प समय के लिए गृह त्याग करते हैं। अधिकांश मजदूर कृषि कार्य से जुड़े रहते हैं। वे कृषि कार्य को करते रहते हैं। उनका जीवन गाँव के मिट्टी में विकसित हुआ होता है, इसलिए वे बाहर आते हैं और कुछ दिन काम करते हैं और पुनः घर लौट जाते हैं।

कभी कभी मजदूर सदैव के लिए गाँव छोड़ जाते हैं या बहुत दिनों के बाद गाँव लौटते हैं। ऐसे मजदूर शहर में ही स्थायी रूप से रहने लगते हैं। वे गाँव के महाजनों और जमींदारों को समय समय पर पैसे भेजते रहते हैं और परिवार को भी। इसके अलावा उनका गाँव से कोई संबंध नहीं रहता है। ऐसी प्रवृत्ति का विकास आधुनिक युग में अधिक देखने को मिल रहा है।

कुछ मजदूरों में रोज पलायन की प्रवृत्ति जाग रही है। वे औद्योगिक केन्द्रों में रोज चले जाते हैं और रोज अलग अलग जगहों पर जाकर मजदूरी करने की प्रवृत्ति में सलंग्न हो रहे हैं। यह प्रवृत्ति नागपुर, कोलकाता, मुंबई आदि जगहों पर देखा जा सकता है। ऐसे मजदूर बस, रेल, ट्रक आदि से यात्रा करते हैं।

पलायन पर विचार करते हुए S. C.सक्सेना पश्चिमी पलायन कर्ता पर विचार विमर्श करते हैं। वे 'श्रम समस्याएं एवं सामाजिक सुरक्षा' नामक पुस्तक में लिखते हैं:-

"पश्चिमी देशों के कारखानों में काम करने वाले औद्योगिक श्रमिकों के स्थायी वर्ग होते हैं। कृषि अथवा कृषि क्षेत्रों से उनका कोई संबंध नहीं होता है। यह संभव है कि उनके पूर्वज कृषक हों, किन्तु आज औद्योगिक नगर में रहने वाले अधिकांश श्रमिकों का पालन पोषण नगरों में होता है तथा परंपरा से वे नगरों में ही निवास करते हैं।"(5)

इससे स्पष्ट है कि पश्चिमी देश में काम करने वाले मजदूर स्थायी वर्ग के होते हैं। उनका लगाव कृषि से नहीं होता है। वे अपने पूर्वजों की पेशा को भूलकर बहुत आगे बढ़ चुके हैं। उनका पालन

पोषण शहर में ही होता है। वे नगरवासी हैं, परन्तु भारतीयों मजदूरों को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं है। वे बार बार पलायन करने पर मजबूर होते हैं।

पलायन पर विचार करते हुए यह भी विचार करना आवश्यक है कि कौन मजदूर कहाँ से आते हैं और किन किन उद्योगों में वे काम करते हैं?

सूती वस्त्र उद्योग का मूल केंद्र मुंबई, अहमदाबाद, कनपुर बेंगलोर, कोयम्बटूर आदि हैं। मुंबई में काम करने वाले मजदूर निकट के क्षेत्रों से उपलब्ध होते हैं। ये लोग आज भी अपने गाँव से संपर्क बनाए हुए हैं और पर्व, त्यौहार, मुंडन, जन्म मृत्यु, विवाह आदि संस्कार या अवसर पर गाँव चले जाते हैं।

'उतरी भारत के मैनेचेस्टर' कानपुर में स्थानीय क्षेत्रों के मजदूर काम करते हैं। जिनमें मैसूर बड़ौदा जिले के आसपास के लोग शामिल हैं।

जुट उद्योग में चौबीस परगना के निवासी उपलब्ध रहते हैं, फिर भी अन्य राज्य के मजदूरों की मांग अत्यधिक रहती है, जिसके कारण अन्य राज्य के लोग जुट उद्योग में काम करने के लिए कोलकता आते हैं।

लोहा एवं इस्पात उद्योग के लिए टाटानगर, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारों प्रसिद्ध हैं। इस उद्योग में देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए लोग काम करते हैं।

कोयले की खान अधिकांशतः बिहार, झारखंड और बंगाल में हैं। इन खानों में काम करने वाले अधिकतर मजदूर इन्हीं राज्यों के होते हैं, परन्तु कभी कभी अन्य राज्य से भी मजदूर मंगाए जाते हैं और आने वालों को काम देते हैं।

चमड़ा उद्योग का केंद्र मूलतः उत्तरप्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल है। इसमें मजदूर अन्य राज्यों से आते रहते हैं। उत्तरप्रदेश एवं बिहार के चीनी मिल में कार्यरत श्रमिक एक राज्य से अन्य राज्य आते जाते रहते हैं। इसी पर विचार करते हुए एल.एस.गजपाल "छत्तीसगढ़ में प्रवजन दुर्ग जिले के कृषि मजदूरों के विशेष संदर्भ में एक समाजशास्त्रीय अध्ययन" शोध में लिखते हैं:-

"राष्ट्र के विभिन्न राज्यों में भवन निर्माण कार्यों में सामान्यतः उन्हीं राज्य के स्थानीय श्रमिक सलंगन रहते हैं, परन्तु अन्य राज्यों से इस क्षेत्र में श्रमिकों की पूर्ति होती है, जिनमें बिहार उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश प्रमुख हैं।"(6)

महात्मा गाँधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गाँवों में बसती है। गाँव में किसान हल चलाते हैं, कुदाल चलाते हैं, खेतों की सिंचाई करते हैं, बीज बोते हैं, मिट्टी फोड़ते हैं और पसीना बहाते हैं। इसी पर विचार करते हुए सहाय रामजी लाल ने 1996 ई. में अपनी पुस्तक 'महात्मा कबीर एवं महात्मा गाँधी के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन' में लिखा है:-

"वर्तमान में भारत की कुल आबादी 74.29% भाग गाँवों में ही निवास करती है तथा कुल आबादी का 65.5% भाग विभिन्न प्रकार के कृषि कार्यों में सलंगन हैं।"(7)

इससे स्पष्ट है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। जहाँ पलायन कर्ता मूल रूप से कृषक वर्ग से ही होते हैं। वे मूलतः गाँव के निवासी होते हैं।

साहित्य जगत में मजदूरों की दुर्दशा और पलायन पर उत्कृष्ट रचनाएं लिखी गयी हैं। जैसे-

प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत ने 'भारत माता ग्रामवासिनी' कविता में भारत के मजदूरों का वास्तविक चित्र खींचा है। उन्होंने भारत के मजदूर को निरस्त्र और निर्वस्त्र बताया है। जैसे-

"दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन,

अधरों में चिर नीरव रोदन,

युग युग के तम से विषण्ण मन,

वह अपने घर में प्रवासिनी।

तीस कोटि संतान नग्न तन,

अर्ध क्षुधित, शोषित, निरस्त्र जन,

मूढ़, असभ्य, अशिक्षित, निर्धन,

नत मस्तक तरु तल निवासिनी।"

सुमित्रानंदन पंत ने इन पंक्तियों के माध्यम से यह साबित कर दिया कि भारत माता गाँव में निवास करती है। इसी गाँव के उनके तीस करोड़ संतान निवास करती है। वह संतान मूढ़, असभ्य, अशिक्षित, निर्धन हैं। ये ही मजदूर वर्ग हैं।

भारत के मजदूरों का चित्र खिंचने में प्रेमचंद और फणीश्वर नाथ रेणु ने कोई कसर नहीं छोड़ा। 'गोदान' तो उनका जीवंत प्रमाण है और 'मैला आँचल' भारत के मजदूरों को जानने का जीवंत अमिय सुधा है। होरी मजदूर वर्ग का सच्चा प्रतिनिधि है। इसलिए वह स्पष्ट कहता है -

"हमी को खेती से क्या मिलता है। एक आने की नफरी की मजदूरी भी तो नहीं पड़ती, फिर भी खेती में जो मरजाद है, वह नोकरी में तो नहीं।"

इसी पर आलोचना करते हुए गिरिराज किशोर ने 'गोदान-महाजनी सभ्यता का भाष्य है' में लिखा है:-

"प्रेमचंद सामान्य और शोषित जनमानस के शोषण, संत्रास, दुःख-दर्द और संघर्ष के कथाकार हैं।(8)

उसी प्रकार 'मैला आँचल' में कालीचरण स्पष्ट कहता है-

"ये पूँजीपति और जमींदार खटमलों और मच्छरों की तरह शोषक हैं। खटमल! इसलिए बहुत से मारवाड़ियों के नाम के साथ 'मल' लगा हुआ है और जमींदार के बच्चे मिस्टर कहलाते हैं। मिस्टर मच्छर।"(9)

इसलिए निर्मल वर्मा ने रेणु के बारे में लिखा:-

"बिहार के छोटे भूखंड के हथेली पर उन्होंने समूची उत्तरी भारत के किसानों की नियति रेखा को उजागर किया है।"(10)

उपर्युक्त उद्धरण और निर्मल वर्मा तथा गिरिराज किशोर के कथन अक्षरशः सत्य हैं। प्रेमचंद मजदूर, मजबूर, किसान और सामान्य जन के दुख दर्द और संत्रास के रचनाकार हैं, तो दूसरी

तरफ रेणु किसान के नियति रेखा के अन्वेषक हैं। अज्ञेय के शब्दों में कहूँ, तो रेणु 'धरती का धनी' कथाकार हैं।

पलायनक कर्ता भारतवर्ष के अन्नदाता हैं। वह विश्व समाज के निर्माता हैं। विश्व समाज के बड़े बड़े मंजिल और स्मारक उनके कला के प्रमाण हैं। ताजमहल, कोणार्क मंदिर आदि को कौन भूल सकता है। इसी कला और दैवीय गुण से युक्त मानव को देखकर रामधारी सिंह दिनकर 'जनतंत्र का जन्म में लिखा है-

आरती लिये तू किसे ढूँढता है मूरख,

मन्दिरों, राजप्रासादों में, तहखानों में?

देवता कहीं सड़कों पर गिड़री तोड़ रहे,

देवता मिलेंगे खेतों में, खलिहानों में।

वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखण्ड-विजेता कौन हुआ?

अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? नव-धर्म प्रणेता कौन हुआ?

जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया।"

ये उदाहरण सिद्ध करता है कि पलायन मजदूर ही भगवान हैं। भगवान मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर में नहीं रहता है, वह खेतों और खलिहानों के निवासी हैं। ये भगवान जिस दिन आँख मूंद लेंगे, उस दिन सृष्टि को खत्म होने में एक पल भी नहीं लगेगा। खैर...

जयशंकर प्रसाद हिंदी कथा साहित्य में ऐतिहासिक कहानीकार के तौर पर जाने जाते हैं। उनकी एक कहानी 'मधुआ' है। 'मधुआ' में उन्होंने एक मजदूर का दर्द खींचा है-

"कुछ खाया नहीं, इतने बड़े अमीर के यहाँ रहता है और दिन भर तुझे खाने को नहीं मिला? यही कहने तो मैं गया था जमादार के पास; मार तो रोज ही खाता हूँ। आज तो खाना ही नहीं मिला।"

यह एक मजदूर का सच्चा दर्द है। इस संदर्भ में अमरकांत के कहानी 'जिंदगी और जौक' याद की जा सकती है। अस्तु...

-'जिंदगीनामा' उपन्यास में कृष्णासोबती लिखती हैं-

इतिहास जो नहीं है

और इतिहास जो है

वह नहीं

जो हुक्मों की

तख्तागाहों में

प्रमाणों और सबूतों के साथ

ऐतिहासिक खातों में दर्ज कर

सुरक्षित कर दिया जाता है,

बल्कि वह

जो लोकमानस की

भागीरथी के साथ-साथ

बहता है

पनपता और फैलता है

और जनसामान्य के

सांस्कृतिक पुख्तापन में

जिंदा रहता है।(11)

अतः पलायन व्यक्तिगत समस्या नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय समस्या है। पलायन किसी क्षेत्र या राज्य से संबंधित नहीं है। जब कोई व्यक्ति पलायन करता है तो उस क्षेत्र में सामाजिक विघटन, श्रम का अभाव, जोतों का परती रह जाना आदि समस्याएँ उत्पन्न हो

जाती है जबकि वे जिस राज्य में जाते हैं, वहाँ पहले से ही बेरोजगारी की समस्या उपलब्ध रहती है। साथ ही झुग्गी झोपड़ियों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे प्रशासन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार से पलायन कर्ता न घर के रहते हैं और न घाट के। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि पलायन एक गंभीर समस्या है। इस समस्या समाधान किए बगैर किसी भी राष्ट्र और समाज का विकास संभव नहीं है। पलायन रोकना ही हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।

संदर्भ सूची

1. तिवारी, विश्वनाथ प्रसाद, आधुनिक भारतीय कविता संचयन 1950-2010, प्रकाशक साहित्य अकादमी, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या-139.
2. Rao, M. S Urbanization, social change, 1970.
3. Gupta, A.र., Social implication of rural migration a case study of rural immigrant in Punjab, Allahabad, 1998, p.p.82-84.
4. समकालीन हिंदी आलोचना, संपादक परमानंद श्रीवास्तव में संकलित केदारनाथ सिंह के आलोचना-कालबद्ध और पदार्थमय, पृष्ठ संख्या-259 प्रथम संस्करण-1998, पुनर्मुद्रण-2014.
5. सक्सेना, एस.सी., श्रम समस्याएं एवं सामाजिक सुरक्षा, पृष्ठ संख्या-37.
6. गजपाल, एल.एस., छत्तीसगढ़ में प्रवजन दुर्गपुर जिले के कृषि मजदूरों के विशेष संदर्भ में एक समाजशास्त्रीय अध्ययन, अप्रकाशित शोध प्रबंध, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ 2005, पृष्ठ संख्या-16-18.
7. लाल सहाय रामजी, महात्मा कबीर एवं महात्मा गाँधी के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन आत्माराम एंड पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1972, पृष्ठ संख्या-218.
8. किशोर, गिरिराज गोदान महाजनी सभ्यता का भाष्य, पृष्ठ संख्या-76-88.
9. रेणु, फनीश्वरनाथ, मैला आँचल(उपन्यास), संस्करण,1967.
10. वर्मा, निर्मल रेणु, समग्र मानवीय दृष्टि, पृष्ठ संख्या-212-22.
11. सोबती, कृष्णा, जिंदगीनामा, दसवाँ संस्करण-2018, पृष्ठ संख्या-08, प्रकाशक-राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।